भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *324

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रगति

***324. श्री घनश्याम सिंह लोधी:**

कुंवर दानिश अली:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों के आंकड़ों के आकलन में बच्चों में बौनेपन (स्टंटिंग) और कृशता (वेस्टिंग) की दर में वृद्धि देखी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बच्चों में बौनेपन और कृशता की समस्या को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रगति' के संबंध में श्री घनश्याम सिंह लोधी द्वारा 11.08.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *324 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संदर्भित विवरण

(क) एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत फिर से संरेखित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और संशोधित किशोरी स्कीम शामिल है। यह मिशन 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में शुरू किया गया है। अब तक देश में लगभग 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं।

पिछले तीन वर्षों में कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों, कार्यशील शौचालयों और पेयजल की संख्या के संदर्भ में स्कीम की प्रगति इस प्रकार है:

कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	
2020-21	13.89 लाख
2021-22	13.95 लाख
2022-23	13.96 लाख
पेयजल सुविधाओं सहित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या	
2020-21	12.23 लाख
2021-22	12.23 लाख
2022-23	12.52 लाख
शौचालय सुविधाओं सहित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या	
2020-21	11.01 लाख
2021-22	11.01 लाख
2022-23	11.39 लाख

पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत जारी की गई कुल निधियां इस प्रकार है:

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत जारी की गई निधियां	
वित्तीय वर्ष	**जारी की गई राशि (लाख रुपये)**
2020-21	1579754.25
2021-22	1820324.68
2022-23	1947794.25

स्कीम के तहत सेवा वितरण की निगरानी के लिए, एक आईसीटी एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर शुरु किया गया है। बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन, और अल्पवज़न की व्यापकता की गतिशील पहचान और पोषण सेवा वितरण की अंतिम मील ट्रैकिंग के लिए पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर रीयल टाइम निगरानी को सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, मिशन के तहत 10.33 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और उत्तर पूर्वी राज्यों और आकांक्षी जिलों में 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियां शामिल हैं।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सेवाओं की बेहतर प्रदायगी के लिए वर्ष 2025-26 तक 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को 40,000 प्रति वर्ष की दर से सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में, 41,192 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ियों में बदले जाने की पहचान की गई है, जिन्हें एलईडी स्क्रीन, स्मार्ट ऑडियो-विजुअल शिक्षण सहायता, पोषण वाटिका, वर्षा जल संचयन संरचनाएं आदि से उन्नत बनाया जाएगा। जहां भी उपलब्ध हो, भारत नेट के माध्यम से वाई-फाई का प्रावधान किया जाएगा।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के परामर्श से सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सहयोग करने के लिए आंगनवाड़ी सहायिका की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पोषण वितरण के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ख) से (घ): सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में कुपोषण के स्तर में कमी आई है, जैसा कि 2019-21 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 की रिपोर्ट से स्पष्ट है। 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले, कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की अनुमानित संख्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के तहत प्राप्त की जाती है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5%, दुबलापन 21.0% से घटकर 19.3% रह गया है और कम वजन का प्रसार 35.8% से घटकर 32.1% रह गया है। इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 के लिए पोषण ट्रैकर आईसीटी एप्लिकेशन में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 महीने में देश में करीब 7 करोड़ बच्चों का माप किया गया जिसके अनुसार, 7% दुबले और 19% कम वजन के थे, जो एनएफएचएस संकेतकों की तुलना में काफी कम है।

सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के रूप में पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं और किशोरी स्कीम जैसी प्रमुख स्कीमें शामिल हैं। आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत लाभार्थी 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।

पोषण अभियान के तहत, पहली बार एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मोबाइल उपकरणों से सशक्त बनाया गया। एप्लिकेशन ने प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो की पेशकश की, जिससे जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और पूरक आहार पर संदेश प्रसारित करने में मदद मिली। अभियान के शुभारंभ के बाद से, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को लगभग **11 लाख स्मार्ट फोन** प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, नियमित वृद्धि निगरानी को बढ़ावा देने के लिए अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन्फेंटोमीटर, स्टैडियोमीटर, माता और शिशु के लिए वजन मापने का पैमाना, बच्चे के लिए वजन मापने का पैमाना जैसे **12.5 लाख वृद्धि निगरानी उपकरण** खरीदे

गए हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को बच्चों की मासिक वृद्धि माप और लक्षित घरेलू दौरों को पूरा करने के लिए 500 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है।

इसके अलावा, पोषण अभियान के तहत, राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़े के रूप में समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) और जन आंदोलनों के माध्यम से 'व्यवहार परिवर्तन संचार' या बीसीसी पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया है। सीबीई आवश्यक संदेशों को प्रसारित करने और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले लोगों (पतियों/सास) को उचित पोषण और स्वास्थ्य व्यवहार पर परामर्श देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। पिछले चार वर्षों में अभियान के तहत करीब 3.70 करोड़ सीबीई आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, अभियान की शुरुआत के बाद से, 60 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां की गई हैं जिनमें स्थानीय स्तर के समुदायों, पंचायतों की भागीदारी और प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के साथ जमीनी स्तर तक अभिसरण शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में, विषयों में समग्र पोषण, स्वच्छता, जल और साफ-सफाई, एनीमिया की रोकथाम, दस्त की रोकथाम, स्तनपान का महत्व, वृद्धि की निगरानी, पोषण पंचायतों की भूमिका, कल्याण के लिए आयुष, स्वास्थ्य के लिए योग, सामुदायिक स्तर पर स्थानीय सब्जियों और औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की खेती के लिए पोषण वाटिकाओं का महत्व आदि शामिल है।

अनुशंसित सेवन की तुलना में आहार सेवन में अंतर को पाटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। हाल ही में, इन पोषण मानदंडों को संशोधित और 25 जनवरी, 2023 को अधिसूचित किया गया है। संशोधित पोषण मानदंड गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12) प्रदान करने के लिए आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक हैं। पोषण 2.0 के तहत, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उनकी उच्च पोषक तत्व सामग्री को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पका हुआ भोजन और टेक होम राशन (कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए बाजरा के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत, सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरा आधारित आहार प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, मिशन पोषण 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया जाता है।

शासन में सुधार के लिए पोषण ट्रैकर के तहत पोषण गुणवत्ता में सुधार और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण, वितरण को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सेवा वितरण की ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को टेक होम राशन के वितरण के लिए एसएमएस अलर्ट शुरू किया गया है।

कुपोषण और संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयुष प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मिशन के दिशानिर्देश पोषण प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता अंतर को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं के विकास को भी सहयोग करते हैं। इसके अलावा, पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही और पोषण संबंधी परिणामों को ट्रैक करने के लिए 13.01.2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए।

*****